आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डॉ0 वाणीभूषण भट्ट, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृ0भू0सं0अ0कीर्तिनगर	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	जनहित में

डॉ0 वाणीभूषण भट्ट सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डॉ0 वाणीभूषण भट्ट का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1941/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– डॉ0 वाणीभूषण भट्ट, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर।
2– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डॉ0 वाणीभूषण भट्ट स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6– मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
7– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनीष चन्द्र नरियाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृ0भू0सं0अ0 लोहाघाट	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	जनहित में

श्री मनीष चन्द्र नरियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मनीष चन्द्र नरियाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1942 /स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री मनीष चन्द्र नरियाल, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
2– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मनीष चन्द्र नरियाल, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4– मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस निर्देश के साथ की श्री नरियाल की योगदान सूचना निदेशालय को उपलबध कराना सुनिश्चित करें।
5– संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महक सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृ0भू0सं0अ0 कोटद्वार	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	जनहित में

श्री महक सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री महक सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक:– कृ0नि0/1943 /स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री महक सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।
2– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री श्री महक सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4– मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस निर्देश के साथ की श्री नरियाल की योगदान सूचना निदेशालय को उपलबध कराना सुनिश्चित करें।
5– संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती किरन ममगाई, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	कृ0भू0सं0अ0कीर्तिनगर	जनहित में

श्रीमती किरन ममगाई, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती किरन ममगाई का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक:– कृ0नि0/1944/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्रीमती किरन ममगाई, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती किरन ममगाई, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस निर्देश के साथ की श्रीमती ममगाई की योगदान सूचना निदेशलय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6– मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी।
7– आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
9– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डॉ0 नलिनी सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल	जनहित में

डॉ0 नलिनी सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डॉ0 नलिनी सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1945/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– डॉ0 नलिनी सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डॉ0 नलिनी सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5– आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को इस आशय से प्रेषित की डॉ0 नलिनी सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
7– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती गरिमा पुनेठा, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	जनहित में

श्रीमती गरिमा पुनेठा, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती गरिमा पुनेठा का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/ –
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1946 **/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक–** 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्रीमती गरिमा पुनेठा, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2– मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती गरिमा पुनेठा, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस निर्देश के साथ की श्रीमती पुनेठा की योगदान सूचना निदेशलय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मांगे राम, स0कृ0अ0 वर्ग–1(रसायन शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	स्हा0निदे0बीज परी0प्रयो0, कृषि निदेशालय	जनहित में

श्री मांगे राम,सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मांगे राम, का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक:– कृ0नि0/1947/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री मांगे राम,स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली।
2– मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मांगे राम, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती छाया जोशी, स0कृ0अ0 वर्ग–1(रसायन शाखा)	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेशवर (मृ0परी0प्रयो0)	जनहित में

श्रीमती छाया जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती छाया जोशी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/ 1948 **/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक–** 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्रीमती छाया जोशी, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती छाया जोशी, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ की श्रीमती जोशी की योगदान सूचना निदेशलय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5– आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6– संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2) /2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गोविन्द सिंह नेगी,	कृ.भू.सं.अ.नई टिहरी	मुख्य कृषि अधिकारी,देहरादून	निजी अनुरोध में

श्री गोविन्द सिंह नेगी, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गोविन्द सिंह नेगी का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नही होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1949/स्था0अनु0–1/वर्ग–2/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री गोविन्द सिंह नेगी, स.कृ.अ.वर्ग–1, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,नई टिहरी।
2– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,नई टिहरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गोविन्द सिंह नेगी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि श्री नेगी की योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4– मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री ललित मोहन पाण्डेय,	कृ.भू.सं.अ.सहसपुर	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर	निजी अनुरोध में

श्री ललित मोहन पाण्डेय, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री ललित मोहन पाण्डेय का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नही होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर को सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1950/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक– 30/06/2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री ललित मोहन पाण्डेय,, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– कृषि भूमि संरक्षण अनुभाग-1 निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ललित मोहन पाण्डेय,स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ की श्री पाण्डेय की योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
4– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5– मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5– आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6– संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।